छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 27/01/2025

क्रमांक एफ 5–18/2022/10–2

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– Diversion of 4.83 ha forest land in favour of Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School under Forest Conservation Act, 1980 at Village-Bhandardigi, Tehsil-Durgkondal, District North Bastar Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-16/2022/962, दिनांक 12.10.2022।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–929/2802, दिनांक 25.11.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (56 पृष्ठीय)।

(मयंक पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–18/2022/10–2

नवा रायपुर, दिनांक 27/01/2025

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–929/2802 रायपुर, दिनांक 25/11/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of 4.83 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Mordern Residential, School, under Forerst Conservation Act 1980 at Village -Bhandargidi, Tehsil- Durgukondal, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh -reg.**

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/SCH/153611/2022

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/ IROCH-16/ 2022/ 962 दिनांक 12.10.2022
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–18/ 2022/ 10–2 दिनांक 28.10.2022
3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ विविध/ 2024/ 3090 दिनांक 23.10.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र–1 द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत दुर्गूकोंदल क्षेत्र के ग्राम भण्डारगिडी रकबा 4.83 हे. वन भूमि में Eklavya Modern Residential School के गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

संदर्भ पत्र–3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:–

S.NO.	CONDITION	COMPLIANCE
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	विभाग वन भूमि की कानूनी स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके लिये विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 1**
ii	**Compensatory afforestation**	
a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in Revenue land of 4.830 ha. in Dugurkondal range at khasra no. 109,68,132 (of 21.440 Ha) in East Bhanuparatappur Forest Division, Kanker, at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के तहसील दुर्गूकोन्दल के ग्राम हिलचूर के खसरा नं. 109, 68, 132 में से 4. 83 हे. में उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु प्रचलित दर अनुसार राशि 46,68,997/– रूपये ई–चालान जनरेटर कर

S.NO.	CONDITION	COMPLIANCE
	avoided;	RTGS के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131310 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153611958 में जमा की गई है। वर्ष 2024–25 के दर अनुसार अंतर की राशि 9,80,557/– (नौ लाख अस्सी हजार पांच सौ सन्तावन) रूपये UTR No. BDBIR62024091914449961 दिनांक 18.09.2024 द्वारा जमा की गई है। इस प्रकार से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि 56,49,554/– (छप्पन लाख उनचास हजार पांच सौ चौवन) रूपये कैम्पा खातें में जमा की गई है। संलग्नक – 2
b)	The proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II clearance.	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि ग्राम हिलचूर के खसरा नम्बर 109, 68, 132 में से 4.83 हे. क्षेत्र को कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश दिनांक 10.07.2024 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की गई है। छायाप्रति संलग्न है। अधिसूचना प्रस्ताव संशोधित कर पृथक से प्रेषित की जावेगी। **संलग्नक – 3**
(iii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years;	वर्तमान में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण की प्रचलित दर 11,69,680/– प्रति हेक्टेयर की मान से 56,49,554/– (छपन लाख उनचास हजार पांच सौ चौवन) रूपये ई–चालान जनरेट कर कैम्पा मद में जमा की गई है। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा सीमांकन के लिये राशि की मांग की जाती है तो मांग के अनुसार राशि जमा करने के लिये आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 4**
iv	**NPV**	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.83 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 30.10.2022 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित राजस्व वन भूमि रकबा 4.83 हे. के लिए (ECO CLASS - III) निर्धारित दर 9,57,780.00 रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से कुल राशि 46,26,077/– रूपये ई–चालान जनरेट कर RTGS के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131310 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153611958 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्नक – 5**
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	प्रकरण के विरूद्ध गैर वानिकी कार्य करने के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 4.83 हे. लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की प्रचलित राशि में संशोधन की जाती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार या वन विभाग के द्वारा मांग की जाती है, तो प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि को जमा करने के लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 6**
v	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited	परियोजना के तहत् उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समस्त राशि को कैम्पा खाता में जमा की गई है।

S.NO.	CONDITION	COMPLIANCE
	to CAMPA fund only through e-portai ~~(https://parivesh.nic.in/);~~	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत जमा राशि की पुष्टि हेतु रसीद संलग्न है। **संलग्नक – 7**
vi	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report;	विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.01.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 8**
vii	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन निविसियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही वन विभाग भूमि सौपने का आदेश जारी करेगा, जिसके लिये आवेदक विभाग सहमत है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 9**
viii	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	परियोजना में प्रभावित वृक्षों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु आवेदक विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि 2,01,962/– रूपये पी.डी. खातें में जमा कर दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक – 10**
ix	The maximum number of trees in the proposal shall be kept intact. User Agency shall give an undertaking stating that plantation work will be carried out in the proposed area or school premises, as per availability of blank area;	परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या स्कूल भवन के निर्माण के पश्चात् स्कूल परिसर में अधिक से अधिक उपलब्ध रिक्त भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 11**
x	The proposal considered only site-specific projects on forest land, State Government must be find alternative land for non-site-specific future projects. The State Government shall submit a certificate from the side of the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh for non-availability of f;'rivate and Government land for such proposal. The same shall submit along with the Stage-I Compliance report by the state Government.	उक्त शर्त के पालन में उपयुक्त एवं गैर वन मद्द की राजस्व भूमि का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक/कले./भू–अभि./अ.भू.अ./2022/1304 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को लेख किया गया है, प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित की जावेगी । जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 12**
xi	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	परियोजना में आवश्यक होने पर पर्यावरण स्वीकृति ली जावेगी, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 13**
xii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	प्रकरण में राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृति के परियोजना के प्रस्तावित ले–आउट प्लॉन में परिवर्तन नहीं की जावेगी, जिसके लिए

S.NO.	CONDITION	COMPLIANCE
		आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 14**
xiii	No labour camp shall be established on the forest land;	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेगी, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 15**
xiv	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	प्रस्तावित क्षेत्र में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से ईंधन की आपूर्ति की जावेगी, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 16**
xv	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि को चिन्हांकित कर वन विभाग के निर्देशन में परियोजना लागत पर घेराव किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 17**
xvi	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	परियोजना कार्य में वन भूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग को निर्माण नहीं किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 18**
xvii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	व्यपवर्तन प्रकरण में लीज या परियोजना हेतु अधिरोपित शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 19**
xviii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शासन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 20**
xix	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	भारत सरकार के स्वीकृति के बिना व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग/व्यक्ति /एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं की जावेगी, जिसके लिए आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 21**
xx	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action shall be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक विभाग द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा –निर्देश के तहत् कार्यवाही की जावेगी तो आवेदक विभाग को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 22**

S.NO.	CONDITION	COMPLIANCE
xxi	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall apply;	कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार या नोडल अधिकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् समय – समय पर वन संरक्षण, वन्य जीवन और वनस्पतियों के संरक्षण एव विकास के हित में निर्देश जारी की जाती है, तो पालन करने के लिए आवेदक विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 23**
xxii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	कार्य पूर्णता रिपोर्ट को ई–पोर्टल (परिवेश) में अपलोड करने हेतु आवेदक वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक – 24**

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र–3 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदानुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं ज़लवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर से अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु लेख करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–929/ 2803 रायपुर, दिनांक 25/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।
3. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

– पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन अपलोड़ नहीं किया गया है। अतः ऑन लाईन अपलोड कर वन मंडल एवं मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से भी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड़ करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़